पत्र सं0– वि॰प्रा॰ (II) व^2–24 / 2012–

बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना

/पटना, दिनांक

विषय– डा॰ ए॰पी॰जे॰ अब्दुल कलाम साइंस सिटी, पटना के निर्माण एवं विकास हेतु चयनित मास्टर प्लान कन्सलटेंट के परामर्शी शुल्क के रूप में स्वीकृत कुल राशि रू॰ 4,25,00,000=00 (चार करोड़ पच्चीस लाख रूपये) मात्र के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू॰ 40,37,500=00 (चालीस लाख सैंतीस हजार पांच सौ रूपये) मात्र, M/S LordCultural Resources Pvt. Ltd. को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेशः– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1007, दिनांक 12.04.2013 के द्वारा डा॰ ए॰पी॰जे॰ अब्दुल कलाम साइंस सिटी, पटना के निर्माण एवं विकास हेतु मे॰ लार्ड कल्चरल रिसोर्सेज प्रा॰ लि॰, को 'मास्टर प्लान कन्सलटेंट' के रूप में चयन करने एवं परामर्शी शुल्क के रूप में रू॰ 4,25,00,000=00 (चार करोड़ पच्चीस लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध अबतक रू॰ 2,42,25,000=00 (दो करोड़ बेयालीस लाख पच्चीस हजार रूपये) मात्र का परामर्शी शुल्क, M/S LordCultural Resources Pvt. Ltd. को विमुक्त की जा चुकी है।

3. राज्य सरकार ने एकरारनामा में अंकित पेमेंट शिड्यूल के अनुसार मास्टर प्लान कन्सलटेंट द्वारा Report on Institutional Plan and Public Program Plan का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत समर्पित अभिश्रव (Invoice No. 0002053-06, dt 30.09.2018) के आधार पर परामर्शी शुल्क के रूप में स्वीकृत कुल राशि रू॰ 4,25,00,000=00 (चार करोड़ पच्चीस लाख रूपये) मात्र के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू॰ 40,37,500=00 (चालीस लाख सैंतीस हजार पांच सौ रूपये) मात्र, M/S LordCultural Resources Pvt. Ltd. को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

4. उक्त विमुक्त राशि, वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष– 2203– तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष– 00, लघुशीर्ष– 004–अनुसंधान, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0101– बिहार काउन्सिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पटना, रिमोट सेसिंग केन्द्र / इंदिरा गाँधी विज्ञान परिसर प्लेनेटोरियम, पटना" के अधीन 28 03 कन्सल्टेंसी विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड 43–2203000040101 है।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप निदेशक (त॰) (निदेशालय), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना होंगे।

6. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी तथा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मास्टर प्लान कन्सलटेंट को उपलब्ध कराया जायेगा।

7. मुम्बई में भुगतेय उक्त बैंक ड्राफ्ट " LordCultural Resources Pvt. Ltd. " के पक्ष में होगा।

8. विमुक्ति हेतु उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगी।

9. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 3758 वि॰, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

10. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/ –
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा० (II) व^{2}–24/ 2012– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा० (II) व^{2}–24/ 2012– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा० (II) व^{2}–24/ 2012– 1277 /पटना, दिनांक– 16-4-2019

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/उप निदेशक (त०)/विपत्र शाखा (मूल अभिश्रव सहित दो प्रतियों में)/बजट सहायक/आई०टी० मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/04/19
सरकार के उप सचिव